

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय वन मंडल अधिकारी, कुरुक्षेत्र
वन परिसर, पिपली, कुरुक्षेत्र, फोन नं०/फैक्स-01744-230743
E-mail-dfo.kkr-hry@nic.in

क्रमांक: 4277

सेवा में:

दिनांक 26-10-18

Sh. Sumit Kumar S/o Sh. Parlad Bhagat,
M/s Bhagat Rice Mill, Delhi Ambala Road
Near Km. Stone no. 174 (RHS), vill- Tyora
Shahabad, Distt. Kurukshetra Haryana

विषय: Diversion of 0.0104 ha. of Forest land for access to M/S Bhagat Rice Mill belonging to Sh. Sumit Kumar s/o Sh Parladh Bhagat situated on Delhi-Ambala road NH-1 (New NH-44) near km. stone no. 174 (RHS) vill Teora, Tehsil Shahbad under Forest Division & Distt. Kurukshetra (Haryana) (Proposal No. FP/HR/Approach/33604/2018)- regarding.

सन्दर्भ: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए० एवं कैम्पा) हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय का पत्र क्रमांक 9-HRB170/2018-CHA दिनांक 27.09.2018

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संदर्भांकित पत्र द्वारा उक्त केस में निम्नलिखित शर्तों पर सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की है

संशोधित क्रम संख्या (i to iv) सी०ए० स्कीम अनुसार आप द्वारा ₹ 75877 की राशि जमा करवाई जानी बनती है, जिसका विवरण निचे अंकित तालिका में दिया जा रहा है।

अतः आपको संशोधित सी०ए० स्कीम अनुसार ₹ 75877 की राशि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से चालान जनरेट करके जमा करवाए, ताकि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकें।

Sr. No.	Particulars	Amount in ₹
1	Compensatory Afforestation	51271
2	Additional Compensatory Afforestation	0
3	Penal Compensatory Afforestation	0
4	Catchment Area Treatment:	0
5	Safety Zone:	0
6	Additional Charges for protected Area	0
7	Net Present Value (NPV):	9225
8	Felling Charges	0
9	Other Charges	0
10	Soil & Moisture Charges (30% of the Total CA)	15381
	Total	75877/-

(v) हरियाणा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी भेजा जाये।

इस कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 1281-82 दिनांक 04.06.2018 द्वारा जो डिमाण्ड नोट की राशि बताई गई थी उसे रद्द समझा जाये क्योंकि अब सी०ए० स्कीम में संशोधन हो गया है।

पृ०क्रमांक: 4278-79

एक प्रति:

दिनांक 26-10-18

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए. एवं कैम्पा) हरियाणा एवं पंचकूला को उनके पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-8520/2520/21 दिनांक 05.10.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

2. वन संरक्षक उत्तरी परिमण्डल, हरियाणा अम्बाला को सूचनार्थ प्रेषित है।